DR. ABRAR AHMED: Question No. 202. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: I know everybody wants to ask a supplementary. But let us first hear the hon. Minister's answer. (*Interruptions*).

Commercial exploitation and encroachment of Railway land

*202. DR. ABRAR AHMED:†
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been an alarming rise in the cases of commercial exploitation and encroachment of railway land at major stations;

(b) if so, what are the details in this connection; and

(c) the remedial measures adopted by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Action to remove encroachments is taken under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act 1971 on a continuous basis. Railways have also taken up several preventive measures such as construction of boundary walls and fencing at vulnerable locations, plantation of juliflora and such throny buses along the land boundary, massive afforestation on railway land, driving out trespassers, etc.

डा. अबरार अहमद : : मैडम, मंत्री महोदय ने इस सवाल का ए, बी और सी पार्ट में उत्तर दिया है जो अपने आप में ही कंट्राडिक्टरी है । ए पार्ट में उन्होंने लिखा है नो, सर जबकि मैंने यह पूछा था कि क्या रेलवे की जमीन पर नाजायज इनक्रोचमेंट में वृद्धि हुई है ? पार्ट बी में यह लिखा है कि हज नाट अराइज़। इसमें मैंने ब्यौरा मांगा था। पार्ट सी में आप कहते हैं कि

"Action to remove encroachments is taken under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971, on a continuous basis."

जब पार्ट ए और बी में नो तथा डज नाट अराइज़ कहते हैं तो पार्ट सी में जो आपने कहा है मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इविक्शन किस का करते हैं ? यह मैं नहीं समझ पाया हूं । लेकिन आपने जो सी पार्ट का उत्तर दिया है, मैं उसके आधार पर ही अपना सप्लीमेंटरी पूछता हूं । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस समय क्या उन्होंने कोई सर्वे कराया है कि रेलवे की कितनी भूमि बेकार पड़ी है तथा उसमें से कितनी भूमि पर नाजायज कब्जे हैं ? क्या उस भूमि के किसी हिस्से पर उद्योगपतियों के गोदाम या उनकी सम्पत्ति रेलवे की भूमि पर है ? क्या झुग्गी माफिया भी रेलवे की तरफ बढ़ रहे हैं और बेकार पड़ी हुई रेलवे की भूमि पर झुग्गियां भी पड़ी हुई हैं । क्या दिल्ली में भी . . . (**व्यवधान**)

श्री हेच. हनुमनतप्पा : झुग्गी माफिया नहीं कहिये । माफिया अलग है, झुग्गी अलग है (**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let the Minister answer. Let the Minister correct.

डा. अबरार अहमद : मंत्री जी, मैं अभी पूछ रहा हूं । मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ ।

उपसभापति : इतना लम्बा सवाल पूछेंगे तो जवाब नहीं देने दंगी । छोटा सवाल पूछिये ताकि जवाब बड़ा आए ।

डा. अबरार अहमद : माननीय सदस्य ने कहा कि झुग्गी माफिया और झुग्गी को अलग करिये । तो यह वे भी जानते हैं और आप भी जानती हैं कि जो ट्रेंड आज झुग्गी पड़वाने वाला चल पड़ा है . . .

उपसभापति : मैं नहीं जानती हूं ।

†The Question was actually asked on the floor of the House by Dr. Abrar Ahmed.

डा. अबरार अहमद : लोगों से झुग्गियां डलवाकर उनका किस तरह से प्रयोग किया जाता है वह माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जब भूमि एक्वायर की जाती है तो उस समय एक योजना भी उस भूमि के लिए बताई जाती है। अतः जो फालतू भूमि पड़ी हुई है उसको एक्वायर करते समय जो योजना बतायी गयी थी वह योजना अब तक क्यों नहीं लागू की गयी और यह भूमि क्यों फालतू पड़ी है ?

उपसभापति : इन्होंने दोनों सप्लीमेंट्री साथ में पूछ लिये हैं, दोनों का जवाब दे दीजिए.. ए और बी मैंने बंद कर दिया है।

SHRI MALLIKARJUN: Madam, the Railways possess 4.19 lakh hectares of land. Out of this, at the moment 2.97 hectares of land are used for track and other purposes. The balance left over is 1.22 lakh hectares. The Railways have given licences for plots to be used for loading, unloading and various other purposes. However, 60,000 hectares of land is still available, 1700 hectares of land is under encroachment.

डा. अबरार अहमद : मैडम...

उपसभापति : आपके हो गये दोनों सप्लीमेंट्री। इतना लम्बा सवाल पूछते हैं। बिल्कुल छोटा सवाल, पहला वाला पूछ लीजिए।

डा. अबरार अहमद : मैं छोटा ही सवाल पूछ रहा हूं। क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि जो एक्सेस लैंड है उसके कामर्शियल यूज के लिए या किसी दूसरे प्रकार के प्रयोग के लिए कोई प्रस्ताव कैबिनेट के अंदर भेजा गया था और क्या कैबिनेट ने इस प्रकार के किसी प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी तथा उसी संबंध में यह है कि दिल्ली, बम्बई कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर या अन्य किसी बड़े शहर में कोई इस प्रकार की फालतू जमीन किसी कामर्शियल प्रयोग के लिए दी गयी है, यदि दी गयी है तो किसको दी गयी है, किस मूल्य पर दी गयी है, कितनी भूमि दी गयी है, और क्या आप इस बात से आश्वस्त हैं कि रेलवे को कभी विस्तार के लिए उस भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ?

SHRI MALLIKARJUN: Madam, because of the dwindling budgetary support to the railways, the Railways have decided to exploit commercially the air space and the land in order to mobilise internal resources to meet the developmental activities of railways. The hon. Member wants to know whether there is any such proposal which has gone before the Cabinet. A pilot project has been evolved for Bandra and it is being processed. It will be coming before the Cabinet for its approval.

उपसभापति : नहीं, नहीं। आपका हो गया।

डा० अबरार अहमद : मैंने जो सवाल पूछा था उसका आधा भी जवाब नहीं आया। प्लीज गिव मी प्रोटेक्शन। आधा जवाब भी दोनों सप्लीमेंट्रीज का नहीं आया; पहली सप्लीमेंट्री का आधा नहीं आया, मैंने कुछ नहीं कहा। दूसरा सप्लीमेंट्री गोलमोल है। कम से कम उत्तर दिलवायें मैडम। न पहली सप्लीमेंट्री का जवाब, न दूसरी सप्लीमेंट्री का जवाब, मतलब क्या है क्वेश्चन पूछने का।

SHRI MALLIKARJUN: I do not know why the Member is agitated. It is a crystal-clear thing. There is a land, 60,000 hectares of land....

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: At what cost?

SHRI MALLIKARJUN: I do not answer you.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Wdat is this? More than a lakh of rupees are spent to collect information. I have a right to get answer. (*Interruptions*). Why did you start answering? (*Interruptions*). He has to answer correctly. Let him answer in this House. I have a right to ask. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Cool down. I know you can ask a supplementary, but let your turn come. I have got so many supplementaries on this.

So, let him answer the first, second, third or the fourth supplementary that he has asked.

मेरी गाड़ी यहीं रुक रही है बिल्कुल।

श्री मल्लिकार्जुन : आपकी गाड़ी के साथ हमारी गाड़ी भी रुक गयी है।

उपसभापति : आपकी गाड़ी डीरेल नहीं इसलिए मुझे रेल पर चलाना है बराबर।

SHRI MALLIKARJUN: Madam, I have already informed this august House that there is 60,000 hectares of land lying vacant. Because the budgetary support is redcing, the Railways have now decided to exploit land and also the air space in order to mobilise internal resources to meet our future requirements. That is why an expert committee has been formed. They have submitted a preliminary report. Full report has yet to be received and various modalities, legalities and so on and so forth have to be worked out.

(व्यवधान)

उपसभापति : बार बार चेन मत खींचिए।

डा. अबरार अहमद : महोदया, किसी को लैंड दी है मैंने यह भी पूछा था कि किसी को लैंड दी है ?

उपसभापति : अभी रजनी रंजन साहू पूछ लेंगे, आप उन्हें बता दीजिए।.. **(व्यवधान)**

डा. अबरार अहमद : भूमि किसी को दी है और क्या भविष्य में... **(व्यवधान)** मैडम, जब जवाब नहीं मिलता तो मेरा सवाल पूछने का मतलब क्या है ?.. **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have got other names. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: He is not answering the question, Madam. What is the point of going to other names, just to show how many supplementaries were put? The idea is to get a categorical reply to what he has asked. There can't be a more crystal-clear question than what the hon. Member has asked—and the reply is not certainly a crystal-clear reply.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will writ your name and you can ask a supplementary. Let the time come.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: His questions has not been answered categorically

डा. अबरार अहमद : मैडम, मैं आपकी प्रोटेक्शन चाहते हुए यह कहना चाहता हूं कि अगर मेरी सप्लीमेंट्री का उत्तर नहीं मिला, तो मेरा प्रश्न लाटरी में आया है, मुझे यहां सप्लीमेंटरी पूछने का चांस मिला तो उसका मतलब क्या रहा ? क्या मात्र एक टी०वी० के अंदर फोटो दिखाने का, पूरा उत्तर आना चाहिए ?

उपसभापति : एक मिनट, एक सैकंड। ... **(व्यवधान)**

श्री रजनी रंजन साहू : महोदया, मेरा मंत्री महोदय से... **(व्यवधान)**

उपसभापति : आईए, पूछिए, क्या पूछ रहे हैं ?

श्री रजनी रंजन साहू : मैं पूछ रहा हूं तो पूछने ही नहीं देते हैं, आप भी सुन नहीं रही हैं।

उपसभापति : हां, मैं सुन रही हूं। चलिए बोलिए। मंत्री जी को.. **(व्यवधान)** मेरा तो उसमें कोई फायदा नहीं है।

श्री रजनी रंजन साहू : मंत्री महोदय ने पहले तो इंकार किया फिर अपने उत्तर में इकरार किया कि ऐसा होता है। खैर कोई बात नहीं है। इन्होंने बताया कि 60 हजार हेक्टेयर जमीन अभी इनके पास ऐसी है जो खाली पड़ी हुई है कुल 1.22 लाख हेक्टयर जमीन उनके पास है, तो मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि क्या इन्होंने कोई निजी व्यक्ति को जमीन दी है और साथ साथ उनसे आश्वास भी चाहूंगा कि क्या कोई ऐसी कमेटी सांसदों की बनायेंगे जिससे इनकी बदनामी नहीं होगी। जो अखबारों में बयान आ रहा है, उससे बचने बचाने के लिए सांसदों की

ऐसी कोई कमेटी बनायेंगे जो जोनलवाइज उन सभी जमीनों का जहां जो अधिग्रहण हो रहा है जो एनक्रोचमेंट हो रहा है उसकी जांच करें और जांच करने के बाद वहीं पर तत्काल उसका एक मास्टर प्लान बनाया जाए कि इसका क्या उपयोग किया जाए ? क्या मंत्री महोदय इस विचार से सहमत हैं और इसका आश्वासन वह सदन में देंगे ?

SHRI MALLIKARJUN: Madam, in fact, in the recent Consulative Committee pertaining to Railways, we have decided to form sub-committees to take interest and to go into whichever matters they like and make out a detailed report about them. That is how we have decided recently.

श्री रजनी रंजन साहू : महोदया... **(व्यवधान)**

उपसभापति : अभी आप एक मिनट, आप लोग कंफ्यूज़ हो जाते हैं और सवाल इतना लंबा पूछते हैं कि मंत्री जी समझते नहीं **(व्यवधान)** एक सवाल प्वायंटेड पूछिए तो ठीक रहेगा ।

You ask one pointed question so that he can answer. If you ask a long question, he has to think about it. Let him answer; lister to him first.

SHRI MALLIKARJUN: Now, what the hon. Member wanted to know is whether the land, which is lying vacant, has been given to any private person. Madam, our policy is not to sell out even one-millionth of an inch of railway land. That is No. 1. No. 2: We dave decided certainly to exploit it and see how best we can generate some revenue out of the land lying vacant. This is what I have said. An expert committee has also been constituted and it is supposed to give its report because, Madam, the moment we give it, we have to think in terms of legalities and so many other factors.

श्री रजनी रंजन साहू : सांसदों की कमेटी बनाने की बात मैंने पूछी उसके बारे में मंत्री महोदय ने क्या कंसल्टेटिव का कहा... **(व्यवधान)**

उपसभापति : अभी इतने लंबे सवाल पूछते हैं तो ही जवाब कंफ्यूज़ आता है । प्वायंटेड क्वश्चन पूछिए ।

श्री रजनी रंजन साहू : मेरा यह सवाल प्वायंटेड क्वश्चन है कि क्या सांसदों की एक कमेटी बनायेंगे, कंसल्टेटिव कमेटी की बात छोड़िए, दोनों सदनों के सांसदों की और यहां केसभी पार्टियों के लोगों की एक कमेटी बनायेंगे ?

SHRI MALLIKARJUN: I rule out any Joint Parliamentary Committee to be formed to go into this.

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Not Parliamentary Committee; but the exploitation of land under the supervision of members of Parliament who are public representatives.

श्री संघ प्रिय गौतम : उपसभापति महोदया, रेलवे की जमीन पर दो प्रकार से अनाधिकार कब्जा होता है शहरों के अन्दर... **(व्यवधान)** आबादी बनाकर और शहरों के बाहर खेती करके ।

उपसभापति : इसमें आप लंबा भाषण न करें । प्वायंटेड क्वश्चन पूछिए, प्वायंटेड जवाब आता है ।

श्री संघ प्रिय गौतम : मैडम, मेरा पॉइंटेड क्वश्चन है कि शहरों के अंदर इमारत बनाकर और आबादी के रूप में व शहरों से बाहर लेवलिंग कर के, खेती कर के—दो तरह से कब्जा हो रहा है । तो मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि शहरों में उन्होंने जो बेरीकेडिंग की है, उसमें या तो छः इंच की दीवार खड़ी की है जैसे गाजियाबाद व लखनऊ में या ऐसी रोक लगायी है जिनको कि खोलकर अथवा तोड़कर लोगों ने कब्जा कर लिया है । यह मेरे प्रश्न का पार्ट ए है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Only one part.

श्री संघ प्रिय गौतम : क्या जो खेती की जमीन जिसमें कि लोग खेती कर रहे हैं, क्या उसके एनक्रोचमेंट को लंबी अवधि के लिए पट्टे पर देकर टैक्नीकली अथवा पेड़ उगाकर और शहरों की जमीन के एनक्रोचमेंट को आप

बैरीकेडिंग की शक्ल में बदलकर रोकेंगे ? यह मंत्री महोदय बताने की कृपा करें. . . .
(व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I followed it. I am sure everybody else has followed it.

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Where is the Cabinet Minister? He should come.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is not well. I have received a letter. . . .(*Interruptions*) He has heard it. He will answer it.

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Where is the Cabinet Minister? It is a very important question.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I said, "I received his letter. He is not well."

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: People's minds are agitated on the question of land.

उपसभापति : वह आए नहीं हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखी है । आप क्या समझते हैं, वह जवाब नहीं दे सकते ?

श्री मल्लिकार्जुन : हमारे मित्र रजनीरंजन साहू जी वह प्रश्न पूछ सकते हैं जिसका कि कोई जवाब नहीं दे सकता है । वह एक ही संसद सदस्य हैं जोकि सर्व-समर्थ हैं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order. . . .(*Interruptions*) Please, order in the House.

SHRI MALLIKARJUN: Madam, so far as the encroachment is concerned, it has been clearly stated that it is an encroachment. What the hon. Member wants to know is whether in respect of the land where cultivation is taking place we are going to give *pattas*. How can we give pattas?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Why then did you allow the land to be cultivates? . . .(*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN: *Pattas* cannot be given. On the contrary, railways are making all-out efforts to see that the encroachments are removed. For example, the Estate Officers have passed orders under the Public Premises Eviction Act in 14,159 cases. But, still we are not able to remove the encroachments because of the enforcement. That is how there is no question of giving any *Patta*. We are making all-out efforts to see that the encroachments are removed. . . .(*Interruptions*)

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: What about cities?

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, no.

Shri Suresh Kalmadi.

छोटासा सवाल कीजिए ।

SHRI SURESH KALMADI: Madam, the hon. Minister has said that there is 16,000 hectares of surplus land and that out of this there is encroachment on about 2 per cent. We have to differentiate between the encroachments which have been recently made and the encroachments which have been there for the last 10, 20, 30 years. Most of the encroachments are *jhuggi-jhonpris*. The people who live there are railway porters, railway workers and labour. Does the Government out of these proceeds intend to make low-cost houses for the railway employees, porters etc. who might be evicted from these encroachments? There must be a differentiation between the encroachments which have been made recently and the encroachments on which people have been living for many years. Otherwise, with the commercial exploitation, I feel, there will be a lot of injustice. A lot of people will be forced to leave those places, definitely. I have seen in Pune, Madam, where during the monsoon. . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: Will you please be brief?

SHRI SURESH KALMADI: Madam, in the monsoon people have been made to leave their *jhuggi-jhonpris*.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please, about what is happening in Pune, let him answer.

SHRI SURESH KALMADI: Madam, I want to get a definite assurance from the Minister that he will look into who is occupying these places and how long they have been there. Otherwise, commercial shops will make sure that the *jhuggi-jhonpris* disappear and they will commercially exploit the land.

उपसभापति : बस ।

SHRI SURESH KALMADI: I want an assurance from the Minister....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

SHRI SURESH KALMADI:...that at least in the monsoon nobody will be removed. ...(*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN: Madam, so far as the question of .....

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Madam, ...

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : मैडम, मुझे भी एक मिनिट दीजिए ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think, then, we will have only this question on the railways. Don't you want any other question?

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: It does not matter, Madam. It is a national issue...(*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN: So far as the question of removal of encroachment by anyone is concerned, when the question comes...(*Interruptions*)

उपसभापति : अब जवाब तो दे रहे हैं, सुनते नहीं हैं आप ।...(**व्यवधान**)

SHRI SURESH KALMADI: That is because he is not speaking into the mike.

उपसभापति : मंत्री जी, जरा माइक पर बोलिए । ...

श्री सुरेश कलमाडी : हां, माइक पर आने दो न, फिर सुनें क्या बोल रहे हैं ।

SHRI MALLIKARJUN: So far as the question of encroachment is concerned, it is our concerted effort to remove it. The hon. Member has put a question if we are going to rehabilitate them. Rehabilitation is a State subject. (*Interruptions*) Wherever rehabilitaiton is to be effected, the State Government has to come forward. (*Interruptions*)

SHRI SURESH KALMADI: For commercial exploitation of the place you want to throw these people on the road and say rehabilitation is the State subject! (*Interruptions*) How can it be possible?

उपसभापति : आप इण्टरप्ट कीजिए ! जवाब तो देने दीजिए ।

SHRI SURESH KALMADI: Madam, it is a very serious matter. We want a half-an.hour discussion on this. We are giving a notice for it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will permit half-an-hour, but let us go ahead. Already we have taken more than 15 minutes. We can consider having a half-an-hour discussion, but please let him ask. Let us run it in a proper order. Shri Sushilkumar Shinde.

...(**व्यवधान**) नहीं तो फिर एक्सीडेंटस हो जाते हैं न रेलवेज के ।...(**व्यवधान**)...

श्री सुशीलकुमार संभाजीराव शिन्दे : मैडम, माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि यह जगह, जहां खुली जगह है, कॉमर्शियल एक्सप्लायटेशन के बाबत यह बांद्रा की जगह के बारे में पायलट–प्रोजेक्ट करना चाहते हैं । क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि दिसम्बर, 1991 में महाराष्ट्र के अरबन डवलपमेंट मिनिस्टर, जो शिन्दे नाम के मंत्री थे, उनकी और रेलवे मंत्री की और उनके विभागीय अधिकारियों की एक बैठक हुई थी महाराष्ट्र की सरकार की ओर से और उसमें यह सुझाव रखा गया था कि बांद्रा के नजदीक जो अंधेरी है, अंधेरी से बोरिविल तक लाईन, और दादर के आगे कुर्ला, कुर्ला से आगे लेकर कल्याण तक यहां जितनी भी झुग्गी झोंपडी हैं इस ट्रेक पर, उनके रिहेब्लिटेशन करने के लिए रेलवे मंत्रालय ने केवल दस हजार रुपया दिया है ? यह दस हजार रुपये में जगह भी उन्हें खरीद करनी पड़ती है । मैं इसी के लिए पाइंटेडली पूछ रहा हू,

यह दस हजार रुपए में उनको जगह नहीं मिलती, स्टेट गवर्नमेंट पर दबाव लाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट दस हजार रुपए में यह नहीं कर सकती है, तो मैं उत्तर यह चाहता हूं मंत्री महोदय से, कि जब एक कॉमर्शियल एक्सप्लायटेशन भी करना चाहते हैं और रिहेब्लिटेशन भी करना चाहते हैं तो क्या यह दस हजार रुपए में बढ़ोतरी करेंगे ? महाराष्ट्र सरकार पच्चीस हजार रुपए देती है ऐसे लोगों को, तो क्या उस तरह से रेलवे मंत्रालय भी पच्चीस हजार रुपए गरीब झुग्गी झोंपड़ी वालों को देगी ? यही मैं पाइंटेडली प्रश्न पूछना चाहता हूं क्योंकि तभी लाइन नंबर 3 और 4 पूर्ण हो सकती है अन्यथा यह गरीब लोग वहां से नहीं हटेंगे । क्या यह जानकारी भी उनको है ?

एक माननीय सदस्य : सेंट्रल गवर्नमेंट को 50,000/- रुपए देने चाहिए ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Sixth corridor.

SHRI MALLIKARJUN: It is true that on the one side eviction is essentially required and on the other side there is the problem of resources. As the hon. Member who has participated in the meeting knows the ins-and-outs and also has mentioned that Rs. 25,000 will be given by the State Government, I appeal to the State Government through our hon. Member to increase their contribution. Actually we are not supposed to give this amount of Rs. 10,000, yet we are giving it.

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Rs. 25,000 are not given for the Railways, but for the rehabilitation of those who are generally living in the Jhopar Pattis.

SHRI MALLIKARJUN: Through you I appeal to the State Government to increase their contribution in view of the fact that a large number of people are to be rehabilitated.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have got other question. There are 20 questions to be asked. It is not that only the question about the Railway Ministry is there. I have got questions relating to Surface Transport and its Minister is also here. They might be of some interest to the people. About a half-an-hour discussion on this we will discuss in the Business Advisory Committee meeting tomorrow and allow it, but now we cannot go on the railway track. (*Interruption*) I give my assurance that we shall have a half-an-hour discussion on this.

श्री राम दास अग्रवाल : महोदया, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, बड़ा सीधा और स्पष्ट प्रश्न है और मैं अपेक्षा करता हूं कि वे भी सरल और सपाट उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे । इन्होंने यह कहा है कि हजारों केसिस चल रहे हैं और हजारों एकड़ जमीन रेलवे की एन्क्रोचमेंट में है, यह इन्होंने स्वीकार किया है । मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको कोर्ट से उस जमीन का, जिसका एन्क्रोचमेंट हुआ, कोई आर्डर मिला है ? अगर आर्डर मिला है तो कब मिला और आपने उसके तहत क्या कार्रवाई की और यदि कोई कार्रवाई नहीं की तो क्या रेलवे मंत्री त्याग-पत्र देंगे ?

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो मंत्री नहीं रहना चाहिए ।

उपसभापति : रेलवे मंत्री के हाथ में थोड़े ही है देना आर्डर ।

श्री मल्लिकार्जुन : स्पष्ट और सरल उत्तर यह है कि 14,159 केसिस में स्टेट आफिसर एन्क्रोचमेंट एविक्शन के आर्डर्स पास होने के बावजूद भी वह वेकेट नहीं कर पाए, अलवत्ता एन्फोर्समेंट की प्राब्लम है, ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम है, रिहेब्लिटेशन की प्राब्लम है, ह्यूमेनिटेरियन की प्राब्लम है । . . . **(व्यवधान)**

श्री राम दास अग्रवाल : कोई हाई कोर्ट से या ज्यूडिशयरी कोर्ट से कोई आर्डर हुआ ? आपने पहले बताया. . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order please. Mr. Agarwal, please do not interrupt. . . (*Interruptions*) . . .

श्री अजीत जोगी : अयोध्या में तो मान नहीं रहे हो आदेश, यहां मनवाना चाहते हो ? . . . **(व्यवधान)** . .

अब कोर्ट की क्यों दुहाई दे रहे हो ? ...(व्यवधान) ... अयोध्या में तो मान नहीं रहे हो । ..(व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let us not derail Question Hour. (*Interruptions*) I am not permitting anybody... (*Interruptions*)...

श्री राम दास अग्रवाल : की या नहीं की और अगर नहीं की तो आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं ? ...(व्यवधान)

श्री अजीत जोगी : इनको कोर्ट से कोई मतलब नहीं है ।..(व्यवधान)..

श्री राम दास अग्रवाल : क्वेशन आवर के बाद बात करेंगे ।

श्री मल्लिकार्जुन : मैडम, इस समय सिविल कोर्ट में 1,586 ..(व्यवधान)

उपसभापति : बैठिए, बैठिए । मंत्री जी बोल रहे हैं ।

श्री मल्लिकार्जुन : अब जहां कोर्ट का आदेश होने के बावजद भी किसी कारण की वजह से अगर वेकेशन नहीं हुआ तो वहां राज्य सरकार की एविक्शन में काफी मदद की आवश्यकता होती है और उस आवश्यकता के लिए इस राज्य की सरकार को ...(व्यवधान) .. अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी मदद करे ।

उपसभापति : क्वेशचन नम्बर 203 ।

श्री शांति त्यागी : मैडम...

उपसभापति : बहुत से लोग रह गए हैं । कल पूछ लीजिए, बाद में पूछ लीजिए ।

National highway patrolling scheme

*203. DR. SANJAYA SINH: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the details of the National Highway Patrolling Scheme have since been finalised;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, by wden the scheme is likely to be finalised?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Govt. hope to finalise the Scheme within the next three months.

डा. संजय सिंह : माननीय महोदया, आपके माध्यम से इसी सदन में कुछ दिनों पूर्व इसी सवाल के जवाब में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग स्कीम को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है और सांकेतिक रूप में 1992-93 में एक करोड रुपए के करीब का प्रावधान किया है । आज के सवाल के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अगले तीन महीने में इस स्कीम को अंतिम रूप दिए जाने की सम्भावना है । मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी का विभाग चुस्ती से इनका सहयोग नहीं कर रहा है । जैसी कि इनको जानकारी भी होगी कि 1986 में लाखों दुर्घटनाओं में करीब 40 हजार लोगों की जान गई थी और 1991 में करीब 55 हजार लोगों की जान गई है लाखों दुर्घटनाओं में ।

तो मैं माननीय मंत्री जी से एक सवाल यह करना चाहता हूं कि क्या वह आश्वस्त करेंगे कि अगले तीन महीने में उस स्कीम को अंतिम रूप देंगे और दूसरे, जब तक इनकी स्कीम पूरी नहीं होती तब तक संबंधित राज्यों के पुलिस और ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट को इस काम में वरीयता से लगायेंगे, जिससे कि जो हजारों-लाखों लोग मर रहे हैं, उसमें कमी आएगी ?

SHRI JAGDISH TYTLER: Sir, I am very much with the hon. Member's concern. It is true that the scheme was started in 1983-84. But, after some time, in 1988, the Government took a particular view and it was discontinued because at some places the scheme was misused and at other places the State Government concerned refused to come out with finance. But, again, a working group was set up in August 1989. Since a lot of